न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 1119/2020/अजमेर (2020/01119)

राजेश टण्डन पुत्र स्व0 श्री प्रेमनारायण टण्डन, निवासी 21 नगीना बाग, अजमेर

अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959 विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर आदेश क्रमांक कअ/न्याय/ 2020/21967 दिनांक 15–9–2020

————

उपस्थितः 1– श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक : 24.03.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के नाम बारह बोर डी. बी.बी.एल गन नम्बर (1) 12 BORE D.B.B.R. No. 3.305314 (2) NIP 32 BORE PISTAL शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 17/1982 था जो जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने जारी किया था और जो वर्ष 31-12-2019 तक नवीनीकरण होता चला आ रहा था। इसे आगामी तीन वर्ष हेतु नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपराध के संबंध में रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर से चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर ने अपीलार्थी के चरित्र संबंधी कोई विपरीत रिपोर्ट नहीं की उन्होंने अपनी रिपोर्ट में केवल अपीलार्थी के नाम फौजदारी प्रकरण लम्बित होना अंकित किया था इसके साथ ही नवीनीकरण किये जाने में कोई आपत्ति अंकित नहीं की। इसके बावजूद भी जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:00:41 IST
Reason: SelfAttested

मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 15–9–2020 से अपीलार्थी के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 17/1982 पुलिस थाना सदर कोतवाली को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। प्रत्यर्थी के राजकीय अभिभाषक बावजूद सूचना अनुपस्थित। अपीलार्थी के विद्वान विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि लाईसेंस को रिवोक/निलम्बन/निरस्त संबंधी आदेश पारित करने से पूर्व लाईसेंसधारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। इसलिए अपीलाधीन आदेश आर्म्स एक्ट की धारा 17(1) व (3) के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का उक्त आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। इस आदेश में लाईसेंस को निरस्त करने का कोई आधार अंकित नहीं किया है। केवल जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3)(बी) में स्पष्ट व्यवस्था है कि पूर्व में जारी आर्म्स लाईसेंस उन्हीं परिस्थितियों में निलंबित/रिवोक किया जा सकता है जहां जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए आवश्यक हो। प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी ने कभी भी लाईसेंसशुदा हथियार का दुरूपयोग नहीं किया है। अपीलार्थी के विरूद्ध हथियार दुरूप्योग का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर से अपीलार्थी के चरित्र के संबंध में रिपोर्ट चाही थी। जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक अजम/प.के./2020/135 दिनांक 27–8–2020 द्वारा सूचित किया कि पुलिस विभाग द्वारा वृत्ताधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र का निहित प्रावधानों व प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर नवीनीकरण कर दिया जावे तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक व संबंधित थानाध्किाारी की रिपोर्ट में अपीलार्थी के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण के लिए कोई आपत्ति होना अंकित नहीं किया है। इसके उपरान्त भी अपीलार्थी के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर विधिविरूद्ध कार्यवाही की है जो निरस्त यें है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:00:41 IST
Reason: SelfAttested

उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी ने जब शस्त्र अनुज्ञा पत्र का लाईसेन्स नवीनीकरण करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था तब उनको किसी भी फौजदारी प्रकरण में दण्डित नहीं किया गया था तथा न ही उस समय उनके

विरूद्ध कोई फौजदारी मुकदमा ही दर्ज हुआ था। केवल फौजदारी मुकदमा विचाराधीन या दोषसिद्धि के आधार पर हथियार के लाईसेंस को निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस बारे में आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(3)(बी) में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि पूर्व में जारी लाईसेंस उन्हीं परिस्थितियों में निलंबित/रिवोक किया जा सकता है जहां जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए आवश्यक हो। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी ने लाईसेंसशुदा हथियार का कभी भी दुरूपयोग नहीं किया है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने भी अपने निर्णय में अपीलार्थी के हथियार से जन सुरक्षा या पब्लिक पीस के लिए खतरा होना या अंदेशा होने का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसलिए जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित उक्त आदेश निरस्तनीय है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(3) में यदि लाईसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है तो लाईसेंसिंग अथोरिटी को उप–धारा 5 में कारण बताने होंगे कि लाईसेंसी के पास हथियार होने से किन कारणों से जन सुरक्षा को खतरा है। एक मुकदमा जो दो वर्ष पूर्व का है और केवल इस कार्यवाही से जन सुरक्षा को खतरा होने का आधार मानना किसी भी स्थिति में उचित व विधिसम्मत नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय जयपुर की खण्डपीठ ने 2005(2) Cr.L.R.(Raj) पृष्ठ 907 में प्रकाशित डी.बी. स्पेशल अपील (रिट) संख्या 576/2003 निर्णय दिनांक 18–1–2005 में यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने यह इंगित नहीं किया कि लोक शांति की सुरक्षा बनाये रखने के लिए किस प्रकार अपीलार्थी के आयुद्ध लाईसेंस को रद्ध करना जरूरी था। माननीय खण्डपीठ ने यह भी मत व्यक्त किया कि केवल कुछ फौजदारी मुकदमें लम्बित होने के आधार पर आयुद्ध लाईसेंस निरस्त करना न्यायोचित नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006(3) क्रिमिनल कोर्ट केस पृष्ठ 503 में प्रकाशित निर्णय पीटीशन नम्बर 13164/2003, डी दिनांक 8.11.2005 वीरेन्द्र पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में स्पष्ट मत व्यक्त किया गया है कि फौजदारी प्रकरण लम्बित होने या उसमें सम्मिलित होने पर भी आयुद्ध लाईसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–9) विभाग जयपुर ने परिपत्र क्रमांक प–1(13)गृह–9/2006 दिनांक 16–2–2006 के बिन्दु संख्या 5 में शस्त्र अनुज्ञा पत्र का [illegible] से पहले बिन्दु संख्या 5.2(1) से 5.2(12) में वर्णित बिन्दुओं की पालना [illegible] ही लाईसेंस आगे रिन्यू करने की व्यवस्था की है। इसमें [illegible] का भी उल्लेख है तथा परिशिष्ट 10 में शपथ–पत्र [illegible] व्यवस्था है। बिन्दु संख्या 5 में वर्णित शर्तो की अवहेलना का अपीलार्थी दोषी नहीं [illegible] इनमे से कोई भी बिन्दु अपीलार्थी के विपरीत नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:00:41 IST
Reason: SelfAttested

उन्होंने यह भी कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर ने उनके विरूद्ध विचाराधीन मुकदमा संख्या 22/2020, 23/20, 39/20, धारा 292, 293 354 (सी), 500, 501, 505, 509, 120बी ताहि एवं 3,4,6, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिक्षेध अधिनियम 1986 व 67 आईटी एक्ट थाना कोतवाली अजमेर में दर्ज हुआ जो जैर अनुसंधान है। वृत्ताधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र का निहित प्रावधानों व प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर नवीनीकरण कर दिया जावे तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होने बाबत अनुशंषा की है। जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने भी केवल पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के नाम जारी अनुज्ञा पत्र निरस्त किया है। इस बारे में कृपया राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प–1(13) गृह–9/2006 दिनांक 16.10.2010 के पैरा 7 में राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 8–1 में संशोधन किया गया है। अब नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि अनुज्ञापत्र नवीनीकरण व निरस्तीकरण के प्रकरणों में आयुद्ध अधिनियम के आधार पर कार्यवाही के निर्देश दिये है। परिपत्र दिनांक 16.12.2006 के इस प्रावधान को हटा दिया गया है कि यदि किसी के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज है तो ऐसे अनुज्ञाधारी का लाईसेन्स तुरन्त निरस्त किया जावे। इस प्रकार परिपत्र दिनांक 16.2.2010 के प्रावधान प्रभाव में आने के बाद पुलिस अधीक्षक अजमेर की रिपोर्ट निष्प्रभावी हो गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी ने कभी भी हथियार का दुरूपयोग नहीं किया है। आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत कभी भी कोई मुकदमा अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 107, 110, 115(3) या 151 के तहत शांति भंग का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। किसी भी न्यायालय ने आज तक शांति बनाए रखने के लिए अपीलार्थी को पाबन्द कर बॉड नहीं भरवाए गए है। फिर भी लोक शांति भंग करने की आशंका बताकर हथियार का लाईसेंस निरस्त करना विधिसम्मत नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने शस्त्र अनुज्ञा पत्रों के संबंध में गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा परिपत्र दिनांक 16–2–2010 में वर्णित सिद्धान्तों का गलत अर्थ निकाला है। उक्त परिपत्र में राज्य सरकार ने बिन्दु संख्या 7 में उल्लेखित किया है कि ''विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16–12–2006 के बिन्दु संख्या 8.1 में प्रावधान किया गया था कि यदि किसी अनुज्ञाधारी के विरूद्ध आपराधिक मामले में सजा होने, आपराधिक मामला विचाराधीन होने या शांति भंग होने की कार्यवाही की जानकारी मिलती है तो नवीनीकरण की अवधि का इन्तजार नहीं करके अनुज्ञापत्र को निरस्त कर दिया जावे। इस प्रावधान के स्थान पर अब अनुज्ञापत्र नवीनीकरण व निरस्तीकरण के प्रकरणों में आयुद्ध अधिनियम के तहत निहित प्रावधान व प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही की जाये।'' उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट का आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत तथा राज्य सरकार के उक्त वर्णित निर्देशों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:30:41 IST
Reason: SelfAttested

योग्य है। अपने उक्त कथन के समर्थन में अपीलार्थी अभिभाषक ने 2005(2) Cr.L.R.(Raj) पृष्ठ 907, 2006 (3) सीआरसीसी पृष्ठ 502 एवं परिपत्र क्रमांक प–1(13) गृह–9/2006 दिनांक 16–2–2010 की ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी के नाम बारह बोर डी.बी.बी.एल गन नम्बर (1) 12 BORE D.B.B.R. No. 3.305314 (2) NIP 32 BORE PISTAL शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 17/1982 बहाल करते हुए इनका नवीनीकरण करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को नोटिस तामील के बावजूद इनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ केवल उनका प्राप्त हुआ है। रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाते है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलार्थी के नाम नाम बारह बोर डी.बी.बी.एल गन नम्बर (1) 12 BORE D.B.B.R. No. 3.305314 (2) NIP 32 BORE PISTAL शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 17/1982 बाबत एवं अपीलार्थी के चरित्र के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक अजम/प0के0/2020/135 दिनांक 27–8–2020 में अंकित किया है कि अपीलार्थी श्री राजेश टण्डन पुत्र श्री प्रेम नाराण टण्डन, निवासी 21, नगीनाबाग अजमेर के विरूद्ध विभिन्न थानों में चार फौजदारी प्रकरण अन्तर्गत धारा 292, 293, 354(सी), 500, 501, 505, 509, 120 बी भा.द.स. एवं 3,4,6 स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेद अधिनियम 1986 व धारा 67 आई.टी. एक्ट के तहत दर्ज होना जाहिर किया है इनमें से तीन प्रकरणों में अनुसंधान जारी होना व एक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होना अवगत कराया है। शस्त्र अनुज्ञा पत्रों के संबंध में गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16–2–2010 के माध्यम से कतिपय निर्देश प्रदान किये गये है कि परिपत्र के निर्देश 6 के अनुसार यदि किसी अनुज्ञाधारी के विरूद्ध आपराधिक मामलें में सजा होने, आपराधिक मामला विचाराधीन होने या शांति भंग होने की कार्यवाही की जानकारी मिलती हैतो नवीनीकरण की अवधि का इन्तजान नहीं करके अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जावे। उक्त प्रावधान के स्थान पर अब अनुज्ञापत्र नवीनीकरण व निरस्तीकरण के प्रकरणों में आयुध अधिनियम के तहत निहित प्रावधान व प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये है। अनुज्ञाधारी के विरूद्ध वर्तमान में आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है जिनमें अनुसंधान जारी है तो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगामी अवधि के लिए शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किये जाने का निर्णय लिया जाकर अनुज्ञाधारी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 17/1982 को संबंधित थाने में तत्काल जमा करने के निर्देश प्रदान किये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:00:41 IST
Reason: SelfAttested

मैने अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की सुनी एकपक्षीय बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे मेरे समक्ष यह तथ्य दृष्टिगोचर होते है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलार्थी के विरूद्ध विभिन्न थानों में चार फौजदारी प्रकरण अन्तर्गत धारा 292, 354(सी), 500, 501, 505, 509, 120 बी भा.द.स. एवं 3,4,6 स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेद अधिनियम 1986 व धारा 67 आई.टी. एक्ट के तहत दर्ज होना जाहिर किया है। जिनमें तीन प्रकरणों में अनुसंधान जारी होना व एक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के आधार पर अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 17/1982 को निरस्त कर शस्त्रों को संबंधित थाने में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–9) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(17) गृह–9/2009 जयपुर, दिनांक 24–2–2010 की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, नागौर को निर्देशित किया है कि श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामकरण निवारी तरनाउ जिला नागौर के प्रकरण में गृह विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(13)गृह–9/2006 दिनांक 16–2–2010 के आधार पर लाईसेंसी के विरूद्ध कोई प्रकरण विचाराधीन होने के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है, अपितु आयुध अधिनियम के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। इस संबंध में गुणावगुण के आधार पर ऑथिरिटी को अपने स्तर पर निर्णय लेने के निर्देश जारी किये गये है।

थानाधिकारी पुलिस थाना सिविल लाईन अजमेर द्वारा दिनांक 31–12–2019 को अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि अनुज्ञाधारी के विरूद्ध कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं होना तथा लाईसेंसधारी का व्यवहार अच्छा होना एवं अपीलार्थी के विरूद्ध तीन वर्षो में हथियार का दुरूपयोग नहीं किया जाने का उल्लेख करते हुए लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाईसेंस आगामी अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाना उचित बताया है।

यहां यह भी स्पष्ट करना उचित है कि अपीलार्थी ने कभी भी हथियार का दुरूपयोग नहीं किया है। आर्म्स एक्त के प्रावधानों के तहत भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं है तथा न ही दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 110, 115(3) या 151 के तहत शांति भंग करने का कोई मुकदमा ही दर्ज हुआ है तथा न ही अपीलार्थी को किसी भी न्यायालय के द्वारा शांति बनाए रखने के लिए पाबन्द किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा केवल अपीलार्थी के विरूद्ध विभिन्न थानों में चार फौजदारी प्रकरण अन्तर्गत धारा 292, 354(सी), 500, 501, 505, 509, 120 बी भा. द.स. एवं 3,4,6 स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेद अधिनियम 1986 व धारा 67 आई.टी. एक्ट के तहत दर्ज होने के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 17/1982 निरस्त किया है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:00:41 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा उनके कथनों के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो एवं परिपत्रों का ससम्मान अवलोकन किया गया। तथ्यपरक समानता होने से प्रस्तुत प्रकरण में कुछ न्यायिक दृष्टांत यथावत चस्पा होते है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अजमेर) का अपीलाधीन आदेश क्रमांक कअ/न्याय/ 2020 /21967 दिनांक 15–09–2020 विधिसम्मत नही होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से अवलोकन कर गृह विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(13)गृह–9/2006 दिनांक 16–2–2010 के अनुसरण में विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:00:41 IST
Reason: SelfAttested